न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 52 / 2023

प्रार्थी

1. श्रीमती सुजीदेवी पत्नि श्री हरीराम जाति माली निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत भारजा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री रामाराम पुत्र श्री केसाजी जाति सिरवी (जणवा) निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी सं. 58 / 2024

प्रार्थी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत भारजा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री रामाराम पुत्र श्री केसाजी जाति सिरवी (जणवा) निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री चेतन कुमार रावल, अधिवक्ता प्रार्थिया श्रीमती सूजीदेवी की ओर से
2. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही, प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा की ओर से।
3. श्री प्रवीण कुमार छीपा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
4. श्री दिलीप राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.06.2025

संक्षेप में प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती सूजीदेवी एवं प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा अलग–अलग निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत भारजा द्वारा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो श्री रामाराम पुत्र श्री केसाजी जणवा निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 94 दिनांक 13.12.2019 क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किए। प्रार्थीगणों के प्रार्थना–पत्र अलग–अलग दर्ज रजिस्टर किए जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत भारजा की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा द्वारा एवं अप्रार्थी संख्या दो श्री रामाराम पुत्र श्री केसाजी जणवा निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित द्वारा जरिए अलग–अलग वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। चूंकि उक्त दोनों निगरानी प्रार्थना पत्र एक ही पट्टे को निरस्त कराने हेतु पेश किए जाने से इन दोनों निगरानी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ इसी निर्णय के माध्यम से किया जाना है। प्रकरण में दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थिया श्रीमती सूजीदेवी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन कुमार रावल ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 94 दिनांक 13.12.2019 क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट जारी किया गया है। यह कि प्रार्थीया ग्राम भारजा की मूल निवासी है, जिसका पेशा कृषि एवं पशुपालन है तथा प्रार्थिया की ग्राम भारजा में सरमालीया वाला कुंआ के आम रास्ते के पास करीब 60×60=3600 वर्गफीट की भूमि पर उसकी दादी सासु मां के समय से करीब 60 वर्षो से पुश्तैनी भूमि आई हुई है, जिस पर पूर्व से ही निर्माण सामग्री एवं गोबर का संग्रहण किया जाता रहा है, जिस पर एक मात्र स्वामित्व प्रार्थीया का निर्बाध रूप से चला आ रहा है तथा पिछले 60 वर्षो से इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नही हुआ है। यह कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा प्रार्थिया की पुश्तैनी भूमि मे बिना सम्यक सुनवाई के पट्टा संख्या 94 दिनांक 13.12.2019 जारी करने के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा गोबर संग्रहण रोकने व कब्जा से बेदखली हेतु ग्राम पंचायत भारजा के कार्यालय पत्रांक 256–257 दिनांक 06.07.2022 जारी किया गया, तब प्रार्थिया को उक्त पट्टे की जानकारी हुई। यह कि प्रार्थीया की इस पुश्तैनी कब्जे शुदा भूमि में अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को रियायती दर पर पट्टा जारी कर प्रार्थीया को उसकी पुश्तैनी संपत्ति से बेदखल करने एवं संपत्ति को अनाधिकृत एवं अविधिपूर्वक हडपने का प्रयास किया गया, जो कि विधि विरूद्ध है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो को भूमिहीन है एवं आर्थिक रूप से कमजोर मानते हुये रियायती दर पर आवंटन किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या दो के पिता के नाम से गांव में दो कृषि कुऐं स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या दो आर्थिक रूप से सक्षम है एवं पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूमि आवंटन हेतु पात्रता नहीं रखता था, जिसके साक्ष्य स्वरूप ग्राम भुजेला के खसरा नं. 522/2, 600, 603, 630, 2819/592, 599, 604 कुल खसरा 7 और इसी प्रकार राजस्व ग्राम भारजा के खसरा संख्या 306, 307, 309, 310, 2358, 2392, 940, 976, 982, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473,1021, 1026, 870, 1373, 1375, 1022, 1024, 1025 कुल खसरा 22 की जमाबन्दी व नक्शा की सत्यापित प्रतिया सलंग्न है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के पास स्वयं के पुश्तैनी मकान दोनो कुँओ पर निर्मित है। जबकि अप्रार्थी को भूमिहीन एवं गृहहीन मानते हुये रियायती दर पर आवंटन किया गया है, जो कि पंचायतीराज नियम 158 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपनी वार्षिक आय मात्र 30000 बताते हुये पट्टा रियायती दर पर आवंटन की मांग की गई है, जबकि अप्रार्थी के पिता के नाम से जारी जॉबकार्ड नंबर 523 के अनुसार अप्रार्थी के माता व पिता द्वारा महात्मागांधी नरेगा योजना में प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार प्राप्त किया जा रहा है, जिसकी मजदूरी भी 22000 प्रति वर्ष होती है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या दो स्वयं कृषि व पशुपालन का व्यवसाय करता है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो का जॉबकार्ड संख्या 523 व राशनकार्ड नंबर 009010401097 के अनुसार क्रमशः रामलाल व रामाराम दर्ज है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी संख्या दो ने अपनी वास्तविक तथ्यो एवं पहचान को छुपाते हुये रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त किया गया, जिससे पंचायत प्रशासन को गुमराह किया जाना

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रमाणित है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय का घोषणा पत्र के अनुसार दो उत्तरदायी व्यक्तियों में शामिल (वार्डपंच) श्री छैलसिंह पुत्र भीखसिंह वार्ड संख्या तीन तथा श्री नवाराम पुत्र खीमाराम मेघवाल वार्ड संख्या आठ द्वारा हस्ताक्षर किये गये है, जबकि आय के घोषणा पत्र के प्रारूप भाग एक के क्रम संख्या 3 के अनुसार आय के स्त्रोतो के बिन्दु संख्या 1 से 5 के अनुसार शून्य आय दर्शायी गई है, जबकि कुल वार्षिक आय 30000 हजार बताई गई है। इस प्रकार इन दोनों वार्ड पंचो ने झूठ को छिपाने में अप्रार्थी संख्या दो का प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया जाना प्रमाणित है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के आवंटन हेतु दो वार्डपंचो की टिप्पणी पर वार्डपंच श्री कालुराम पुत्र गजाजी जणवा, श्री नवाराम पुत्र खीमाजी मेघवाल एवं श्री छेलसिंह पुत्र भीखसिंह द्वारा भूमि आवंटन की सिफारिश करते हुये आवंटन किया जाना उचित बताया गया है, जिसमें दो वार्डपच श्री छैलसिह व नवाराम मेघवाल वो ही है जिन्होंने आय उद्घोषणा पत्र में अप्रार्थी संख्या दो के तथ्यो को छिपाने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के रूप में हस्ताक्षर कर प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो को भूमि आवंटन हेतु मौका निरीक्षण हेतु श्री छैलसिंह व श्री नवाराम एवं कालुराम को नियम 146 के तहत अधिकृत किया गया, जबकि यह तीनो वार्डपंच वो ही है जिनके द्वारा आवंटन की सिफारिश की गई है, जिससे पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 48/3 का स्पष्टया उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है कि कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अपने किसी निजी हित के कार्य में पंचायत कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, इसके बावजूद सरपंच व सचिव ने नियमों के परे जाकर आवंटन कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिससें पंचायतीराज नियमों का घोर उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है। यह कि प्रार्थिया की उक्त पुश्तैनी भूमि को खुर्दबुर्द करने के लिये करीब 12 वर्ष पहले से ही षड्यंत्र के तहत देशी खाद के स्टॉक को गुमनाम व्यक्तियों द्वारा जलाने के लिये आग लगाई जाती रही है एवं गांव के ही श्री जोगाराम/छोटाराम माली निवासी भारजा, श्री रूपाराम/छोटाराम माली निवासी भारजा व श्री थानाराम/जगाराम माली निवासी भारजा द्वारा उक्त आग को बुझाने के लिये इन व्यक्तियों के पानी आपूर्ति टैन्कर से आग बुझवाई जाती रही है, जिसका प्रति टैन्कर किराया 200, 250 एवं 300 की दर से भुगतान किया गया। यह कि अप्रार्थी को भूमि आवंटन कार्यवाही के दौरान जारी आपत्ति नोटिस को चस्पा निम्न व्यक्तियों के रामक्ष किया जाने हेतु मौतबिरानो के रूप में प्रताप/मगाजी, जोगाराम/छोटाराम माली निवासी भारजा, श्री ईश्वरदास वैष्णव, श्री हीमाराम/देवाजी सिरवी, श्री पोपट/भेराजी के हस्ताक्षर करवाये गये, जबकि वास्तव में इन व्यक्तियों को यह मालूम ही नहीं था कि उनका किस कार्यवाही के नाम पर पंचायत भवन में हस्ताक्षर करवाये जा रहे है तथा इनमें श्री जोगाराम/छोटाराम वो ही व्यक्ति है, जिसने आग बुझाने के लिये पानी से भरा टैन्कर भेजा था और उसका किराया भी प्रार्थिया के पति से वसूला गया था। इस प्रकार यह सम्पूर्ण कार्यवाही द्वेष पूर्ण एवं पंचायतीराज नियमों के परे जाकर की गई है। यह कि आपत्ति नोटिस की प्रति वास्तव मे जाहिर ही नहीं की गई है। यदि यह कार्यवाही पारदर्शिता के साथ की जाती तो प्रार्थिया अपनी आपत्ति उसी दिन पंचायत में या विकास अधिकारी या जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर देती, जिससे प्रार्थिया की संपति में नियम विरूद्ध पट्टा जारी ही नही होता, किन्तु जानबूझकर गोपनीय रूप से कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जो स्वयं प्रमाणित है। यह कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत पंचायतीराज संस्थायों को किसी की निजि पुश्तैनी की सम्पति से बेदखली के लिये सरपंच को कोई अधिकार/शक्तियां प्राप्त नहीं है। यह कि हमारी पुश्तैनी भूमि मे पट्टो की शिकायत की जाँच प्रक्रियाधीन होने के दौरान ग्राम पंचायत भारजा का वर्तमान वार्डपंच श्री कान्तिलाल जणवा द्वारा हमारे कब्जे मे अनाधिकृत प्रवेश कर जे.सी.बी मशीन से साफ-सफाई करना, निर्माण सामग्री को खुर्द-बुर्द करने के दौरान हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को मोबाईल से शिकायत की गई, जिस पर पुलिस थाना रोहिडा द्वारा पुलिस निवारक कार्यवाही की गई एवं वार्डपंच को मात्र पाबंद किया गया। यह कि प्रार्थिया को इन पट्टो की जानकारी होने पर श्रीमान जिला प्रमुख महोदय एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पट्टो की शिकायत करने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा जिला स्तरीय जाँच कमेटी का गठन किया गया एवं जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

को नियम विरूद्ध जारी किया जाना पाया गया, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के कार्यालय पत्रांक जिपसि/पंचायत/जॉच/2019/1654 दिनांक 03.08.2023 के उक्त पट्टो की निगरानी प्रस्तुत करने हेतु विकास अधिकारी पिण्डवाडा को निर्देश दिये जा चुके है। यह कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 की आदर्श आचार संहिता का लाभ लेते हुए हमारे कब्जे को खुर्द–बुर्द करने की नियत से व आदर्श आचार संहिता के दौरान सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा आनन–फानन मे सी.सी. सडक के कार्य को चालू करवाया गया, जिस पर हमारे द्वारा श्रीमान निर्वाचन अधिकारी सिरोही को शिकायत प्रस्तुत करने पर कार्य को रूकवाया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 47 दिनांक 13.12.2019 क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावें एवं वास्तविक स्वामी प्रार्थिया के हक में पट्टा जारी करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी जिला परिषद सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पट्टा संख्या 47 दिनांक 13.12.2019 क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज. नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार प्रदत्त हैं। इस विक्रय विलेख के परिवाद की जॉच जिला स्तरीय जॉच कमेटी के द्वारा करने के उपरांत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 की पात्रता नहीं रखने से श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सिरोही के पत्र कमांक जिपसि/पंचायत/जॉच/1654 दिनांक 03.08.2023 द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे उक्त विक्रय विलेख नियम विरूद्ध जारी होने से निरस्त योग्य हैं। यह है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 (1) के अनुसार पंचायत गांव आबादियों (300 वर्गगज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडें वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगो, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हैं और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो के पास स्वयं का आवास होते हुये एवं अपात्र होते हुये भी अप्रार्थी संख्या एक ने पंचायतीराज नियमो की अवहेलना कर अप्रार्थी संख्या दो को नियम विरूद्ध विक्रय विलेख जारी किया गया, जो खारिज योग्य हैं। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ देने की नियत से पंचायतीराज नियमो की पालना किये बिना ही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत विक्रय विलेख जारी किया गया, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 में पात्रता नही रखते हुये भी विक्रय विलेख जारी किया गया, जो निरस्त योग्य हैं। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 47 दिनांक 13.12.2019 क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह है कि प्रार्थिया के ग्राम भारजा में सरमालिया वाला कुँआ के पास आम रास्ते के पास 60×60=3600 वर्गफीट की भूमि पर उसकी दादी सासु माँ के समय से करीब 60 वर्षों से पुश्तैनी भूमि आई हुई होने का

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

कथन सर्वथा गलत एवं बनावटी है, क्योकि प्रार्थिया द्वारा जिस स्थान पर स्वयं का कब्जा होना बताया है, उक्त स्थान पर मौके पर 3600 वर्गफीट का कोई भूखण्ड ही नहीं है। प्रार्थिया के पति श्री हरिराम वर्ष 1995–96 से राजस्थान पंचायती राज विभाग में सचिव के पद पर पदस्थापित थे तथा वर्तमान में जिला परिषद सिरोही मे सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। प्रार्थिया का देवर श्री प्रभुराम भी वर्ष 2008 से राजस्थान पंचायती राज विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत है। इसलिए प्रार्थिया द्वारा अपने पति व देवर के पद व प्रभाव का दुरूपयोग कर वर्ष 2022 में आबादी भूमि में आवागमन के सार्वजनिक रास्ते पर गोबर संग्रहण किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त गोबर संग्रहण को हटाया गया था, ऐसी स्थिति में प्रार्थिया द्वारा रास्ते की भूमि पर गोबर संग्रहण करने की कोशिश करने मात्र से प्रार्थिया का आबादी भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है तथा इस निगरानी याचिका से पूर्व कभी भी प्रार्थिया, उसकी सास या उसकी दादी सास या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा न तो उक्त स्थान पर कभी हक अधिकार जताया है एवं न ही उस स्थान पर वर्तमान या भूतकाल में प्रार्थिया का कोई कब्जा हक अधिकार रहा है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा विहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अप्रार्थी संख्या दो के नाम से नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त पट्टा जारी करने के पश्चात् प्रार्थिया द्वारा आम रास्ते की भूमि को गोबर संग्रहण कर अतिक्रमण कर रास्ता अवरूद्ध किये जाने पर आबादी भूमि में सार्वजनिक रास्तो का संरक्षण करने का कर्त्तव्य ग्राम पंचायत का होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में विहित प्रक्रिया का पालन कर प्रार्थिया के द्वारा रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये प्रार्थिया को नियमानुसार नोटिस जारी किया था, लेकिन उक्त नोटिस के आधार पर प्रार्थीया किसी प्रकार का हक अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूखण्ड़ का आवंटन अप्रार्थी संख्या दो को किया था उस भूखण्ड़ पर कभी भी प्रार्थिया का कब्जा नहीं रहा हैं, यदि उस स्थान पर प्रार्थिया का कब्जा होता तो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व नियम 146 में किये गये मौका निरीक्षण में इस तथ्य का अवश्य ही उल्लेख होता तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26–08–2019 को जारी किये गये आपत्ति नोटिस पर प्रार्थिया आपत्ति प्रस्तुत करती, परन्तु तत्समय इस भूखण्ड़ पर प्रार्थिया का कोई अधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थिया द्वारा न तो कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई और न ही इस सम्बन्ध में कोई अन्य तथ्य ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 15–09–2021 को ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, उस आवेदन में उल्लेखित चतुदर्शी व अप्रार्थी संख्या–दो को जारी पट्टे की चतुर्दशी पूर्णतया भिन्न है, जिससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रार्थीया के पति हरिराम के वर्तमान में जिला परिषद् सिरोही में सहायक विकास अधिकारी के पद पर होने से यह झूठी निगरानी याचिका प्रस्तुत करवायी है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत् भूमि का आवंटन किया गया है लेकिन ग्राम पंचायत की जानकारी अनुसार अप्रार्थी के स्वयं के नाम से कोई आबादी भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र में नहीं है तथा अप्रार्थी के पिता के नाम से कितने कुँए या कृषि भूमि है यह तथ्य नियम 158 के तहत् पट्टा जारी करने के लिये महत्वहीन है। अप्रार्थी संख्या–दो नियम 158 में वर्णित शर्तों के अनुसार भूमि आवंटन के लिये पात्र होने के कारण ही ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के माता–पिता को जारी किये गये जॉब कार्ड के आधार पर अप्रार्थी संख्या दो नियम 158 के तहत् भूमि आवंटन के लिये अयोग्य नहीं हो जाता है। अप्रार्थी संख्या दो महानरेगा मजदूर है एवं अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य है, जिससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अप्रार्थी संख्या दो रियायत दर पर भूखण्ड आवंटन के लिये पात्र होने के कारण अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम में भूमि आवटंन के लिए विहित प्रक्रिया का पालन कर नियमानुसार पट्टा जारी किया है। यह कि वार्डपंच छेलसिंह व नवाराम द्वारा किरा आधार पर आय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये है इस तथ्य की जानकारी अप्रार्थी ग्राम पंचायत को नहीं है, न ही प्रार्थीया द्वारा इन वार्ड पंचो को इस निगरानी याचिका में पक्षकार बनाया है। ऐसी स्थिति में केवल अन्य वार्ड पंचो पर प्रार्थिया मनगढन्त, झूठे एवं निराधार आरोप लगाकर न्यायालय से किसी प्रकार की राहत प्राप्त नही कर सकती है। पंचायत द्वारा केवल उक्त वार्ड पंचो की सिफारिश के आधार पर पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जारी नहीं किया है। अपितु अप्रार्थी संख्या दो नियमानुसार पात्र होने व पंचायत इस तथ्य से संतुष्ट होने पर ही अप्रार्थी संख्या दो के नाम पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 158 के तहत् पात्रताधारी व्यक्ति को ग्राम पंचायत स्वयं या उसके आवेदन पर भूमि आवंटन का अधिकार ग्राम पंचायत को प्रदान करता है तथा इसी अधिकार का उपयोग कर अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा नियमानुसार अप्रार्थी संख्या दो के हक में विधि अनुसार जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो को जारी किया था उसका वार्डपंच छेलसिंह, नवाराम व कालुराम से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेना देना नही है एवं न ही अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी करते समय कालूराम हितबद्ध व्यक्ति है क्योंकि अप्रार्थी संख्या दो कालूराम का रक्त सम्बन्धी नही है तथा न ही उक्त पट्टा कालुराम के नाम से जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार की गई कार्यवाही से राजस्थान पंचायती राज नियम व अधिनियम का कोई प्रावधान आकृष्ट नही होता है। अन्यथा भी पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर प्रार्थिया इस पट्टेशुदा भूखण्ड पर किसी भी प्रकार के हक अधिकार का दावा नही कर सकती है एवं केवल मात्र टेंकर पानी बिल के आधार पर भी प्रार्थिया ग्राम पंचायत की किसी आबादी भूमि पर कब्जे या स्वामित्व का दावा नही कर सकती है। यह कि प्रार्थिया का पति जिला परिषद सिरोही में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत होने से आदतन झूठी शिकायतें प्रस्तुत करता रहा है तथा ग्राम पंचायत एवं अधीनस्थ कर्मचारियों पर अपने पद का रौब जमाकर जाँचो को प्रभावित करता रहा है। यह कि प्रार्थिया द्वारा अलग–अलग दिनांको पर शिकायते किये जाने पर दिनांक 17–07–2023 को ग्राम पंचायत व उसके सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका फर्द बनाई गई थी, उस मौका फर्द रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का 20 वर्षों से भी पुराना कब्जा है तथा उस भूखण्ड पर प्रार्थिया का कोई हक अधिकार नही है। उससे पूर्व दिनांक 29–12–2021 को भी मौका निरीक्षण कर ग्राम पंचायत द्वारा मौका फर्द बनाई थी, उसमें भी इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का ही कब्जा होना माना है तथा उसके किसी भू–भाग पर प्रार्थिया का कब्जा या हक अधिकार दर्शित नही किया था। प्रार्थिया द्वारा जिस जॉच रिपोर्ट का इस पद में हवाला दिया है उस जॉच रिपोर्ट में भी उस भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा माना था तथा प्रार्थिया का कभी भी उक्त भूखण्ड पर कब्जा नही होने का तथ्य उल्लेखित किया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया स्वयं का कब्जा होना बताकर इस पट्टे को चुनौती देने के लिये किसी भी प्रकार से सक्षम नही है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत के जबाब को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को सव्यय खारिज कराना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह है कि प्रार्थिया के ग्राम भारजा में सरमालिया वाला कुँआ के पास आम रास्ते के पास 60×60=3600 वर्गफीट की भूमि पर उसकी दादी सासु माँ के समय से करीब 60 वर्षों से पुश्तैनी भूमि आई हुई होने का कथन सर्वथा गलत एवं बनावटी है, क्योकि प्रार्थिया द्वारा जिस स्थान पर स्वयं का कब्जा होना बताया है, उक्त स्थान पर मौके पर 3600 वर्गफीट का कोई भूखण्ड ही नहीं है। प्रार्थिया के पति श्री हरिराम वर्ष 1995–96 से राजस्थान पंचायती राज विभाग में सचिव के पद पर पदस्थापित थे तथा वर्तमान में जिला परिषद सिरोही मे सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। प्रार्थिया का देवर श्री प्रभुराम भी वर्ष 2008 से राजस्थान पंचायती राज विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत है। इसलिए प्रार्थिया द्वारा अपने पति व देवर के पद व प्रभाव का दुरूपयोग कर वर्ष 2022 में आबादी भूमि में आवागमन के सार्वजनिक रास्ते पर गोबर संग्रहण किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त गोबर संग्रहण को हटाया गया था, ऐसी स्थिति में प्रार्थिया द्वारा रास्ते की भूमि पर गोबर संग्रहण करने की कोशिश करने मात्र से प्रार्थिया का आबादी भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है तथा इस निगरानी याचिका से पूर्व कभी

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

भी प्रार्थिया, उसकी सास या उसकी दादी सास या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा न तो उक्त स्थान पर कभी हक अधिकार जताया है एवं न ही उस स्थान पर वर्तमान या भूतकाल में प्रार्थिया का कोई कब्जा हक अधिकार रहा है। यदि प्रार्थिया का पिछले 60 वर्षों से उस स्थान पर कब्जा होता तो अवश्य ही प्रार्थिया के ससुर या पति इस संबंध में पट्टा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करते तथा उस पर विद्युत या जल का कनेक्शन लेते परन्तु प्रार्थिया ने अपना कब्जा स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यह कि प्रार्थिया द्वारा आम रास्ते की भूमि को गोबर संग्रहण कर अतिक्रमित कर रास्ता अवरूद्ध किये जाने पर ग्रामवासियों द्वारा इस संबंध में शिकायत किये जाने पर आबादी भूमि में सार्वजनिक रास्तो का संरक्षण करने का कर्तव्य ग्राम पंचायत का होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा अपने हक अधिकार क्षेत्र में विहित प्रक्रिया का पालन कर प्रार्थिया के द्वारा रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रार्थीया को नियमानुसार नोटिस जारी किया था लेकिन उक्त नोटिस के आधार पर प्रार्थिया किसी प्रकार का हक अधिकार का दावा नहीं कर सकती है और न ही अतिक्रमी व्यक्ति को केवल रास्ते पर अतिक्रमण करने मात्र से रास्ते की भूमि पर कोई हक अधिकार प्राप्त हो सकता है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूखण्ड़ का आवंटन अप्रार्थी संख्या दो को किया था उस भूखण्ड पर कभी भी प्रार्थिया का कब्जा नहीं रहा हैं, यदि उस स्थान पर प्रार्थिया का कब्जा होता तो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते समय प्रार्थिया अवश्य ही आपत्ति प्रस्तुत करती, परन्तु तत्समय इस भूखण्ड़ पर प्रार्थिया का कोई हक अधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थिया द्वारा न तो आपत्ति प्रस्तुत की गई और न ही इस संबंध में कोई अन्य तथ्य ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थिया स्वयं का पुश्तैनी दो मंजिला मकान आबादी भूमि में आया हुआ है इसके अतिरिक्त प्रार्थिया के परिवार के पास अन्य कई भूखण्ड हैं, जिसमें प्रार्थिया के पति श्री हरिराम के सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित होने से अवैध कब्जे कर रखे हैं, जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम में पंचातयीराज संस्थान का कोई कर्मचारी आबादी भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सकता एवं अप्रार्थी संख्या दो को आर्थिक रूप से कमजोर होने व नरेगा मजदूर होने के कारण नियम 158 के तहत नियमानुसार पट्टा जारी किया है एवं नियम 158 के तहत पट्टा जारी किये जाने में पट्टा जारीकर्ता के भूमिहीन होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या दो के नाम से कोई आबादी भूमि ग्राम भारजा के आबादी क्षेत्र में नहीं है और न ही कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या दो के नाम से कोई हैं। इसके विपरित प्रार्थिया ने इस पद में जिस खसरा संख्या का उल्लेख किया हैं उसमें से खसरा संख्या 309, 306, 307, 310, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 940, 870, 2392 व अन्य खसरा में अप्रार्थी संख्या दो के नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई कृषि भूमि नहीं हैं, लेकिन प्रार्थिया ने जानबूझकर इस पद में सर्वथा गलत तथ्य अंकित किये हैं इसके विपरित प्रार्थिया के पति के नाम से गाँव भारजा में सैकडों बीघा कृषि भूमि आई हुई है। यह कि अप्रार्थी के स्वयं के नाम से कोई आबादी भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र में नहीं है तथा अप्रार्थी के पिता के नाम से कितने कुएं या कृषि भूमि है यह तथ्य नियम 158 के तहत पट्टा जारी करने के लिए महत्वहीन है तथा अप्रार्थी संख्या दो नियम 158 में वर्णित शर्तों के अनुसार भूमि आवंटन के लिए पात्र होने के कारण ही ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो के माता–पिता को जारी किये गये जॉब कार्ड के आधार पर अप्रार्थी संख्या दो नियम 158 के तहत भूमि आवंटन के लिए अयोग्य नही हो जाता है तथा अप्रार्थी संख्या दो महानरेगा मजदूर हैं तथा अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य है, जिससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अप्रार्थी संख्या दो रियायत दर पर भूखण्ड़ आवंटन के लिए पात्र होने के कारण अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम में भूमि आवंटन के लिए विहित प्रक्रिया का पालन कर नियमानुसार पट्टा जारी किया है। यह कि अप्रार्थी अनपढ व्यक्ति होकर नरेगा मजदूर है। इसलिए इसके द्वारा पट्टा आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति से भरवाकर संबंधित वार्डपंचो के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किये गये है, लेकिन केवल उसमें गणितीय त्रुटि के आधार पर न तो अप्रार्थी संख्या दो का पट्टा प्राप्त करने का हक अधिकार समाप्त होता है और न ही अप्रार्थी के स्वामित्व के भूखण्ड़ पर प्रार्थिया का कोई

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

हक अधिकार प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में केवल अन्य वार्डपंचो पर प्रार्थिया मनगढन्त व झूठे आरोप लगाकर न्यायालय से किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं कर सकती है एवं नियम 158 के तहत पट्टा जारी करने के लिए केवल आवेदक का आवेदन ही काफी हैं उसके लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 146 से 155 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना अति आवश्यक नहीं है। यह कि आवेदन प्रारूप में वार्डपंच कालुराम, छैलसिंह तथा नवाराम मेघवाल के हस्ताक्षर है लेकिन केवल इस आधार पर अप्रार्थी को जारी पट्टा अवैध नहीं होता है और न ही अप्रार्थी को उस भूखण्ड में प्राप्त स्वामित्व के हक अधिकार प्रभावित होते हैं तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो को जारी किया था उसका वार्डपंच कालूराम से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेना देना नहीं है और न ही अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी करते समय कालूराम हितबद्ध व्यक्ति हैं क्योंकि अप्रार्थी संख्या दो कालुराम का रक्त संबंधी नहीं है तथा न ही उक्त पट्टा कालुराम के नाम से जारी किया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार की गई कार्यवाही से राजस्थान पंचायती राज नियम व अधिनियम का कोई प्रावधान आकृष्ट नहीं होता है यह कि केवल मात्र पानी के बिल के आधार पर प्रार्थिया ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती है तथा गांव भारजा में कई लोग अपनी आवश्यकतानुसार पानी के टैंकर मंगवाते है लेकिन उन टैंकर के बिल के आधार पर प्रार्थिया या किसी अन्य व्यक्ति को अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टे शुदा भूखण्ड़ के संबंध में कोई हक अधिकार प्राप्त नही होता है। यह कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा जारी किये जाने के लिए नियम 146 से 155 में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र अनुसार केवल पंचायत संकल्प/प्रस्ताव पारित कर नियम 158/157 के अन्तर्गत भूमि का आवंटन कर पट्टा जारी कर सकती है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी सम्पत्ति से बेदखल नहीं किया गया है, परन्तु राजस्थान पंचायतीराज नियम में ग्राम पंचायत का यह भी दायित्व है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंचायती की आबादी या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पंचायत पूर्णतया सक्षम है तथा अतिक्रमी व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाकर जुर्माना भी अधिरोपित कर सकती हैं। यह कि प्रार्थिया द्वारा अलग–अलग दिनांकों पर शिकायत किये जाने पर दिनांक 17.07.2023 को ग्राम पंचायत व उसके सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका फर्द बनाई गई थी, उस मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का 20 वर्ष से भी पुराना कब्जा है तथा उस भूखण्ड़ पर प्रार्थिया का कोई हक अधिकार नहीं है। उससे पूर्व दिनांक 29.12.2021 को भी मौका निरीक्षण कर ग्राम पंचायत द्वारा मौका फर्द बनाई थी, उसमें भी इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का ही कब्जा होना माना था तथा उसके किसी भू–भाग पर प्रार्थिया का कब्जा या हक अधिकार दर्शित नहीं किया था तथा प्रार्थीया द्वारा जिस जाँच रिपोर्ट का हवाला दिया है उस जाँच रिपोर्ट में भी उस भूखण्ड़ पर अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा माना था तथा प्रार्थिया का कभी भी उस भूखण्ड़ पर कब्जा नहीं होने का तथ्य उल्लेखित किया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया स्वयं का कब्जा होना बताकर इस पट्टे को चुनौती देने के लिए किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त विवादित पट्टा संख्या 47 दिनांक 13.12.2019 क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट ग्राम पंचायत भारजा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–
158. भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह वह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में से उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत भारजा में अन्य कोई आवासीय मकान उपलब्ध हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं ना ही इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थिया सूजीदेवी एवं प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा अपने प्रार्थना पत्रों में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो का कृषि कुएं पर निवास है। चूंकि कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या दो के पिता के नाम है और यदि कृषि भूमि पर मकान स्थित भी है तो वह भी उचित नहीं है, क्योंकि कृषि भूमि काश्त प्रयोजनार्थ होती है ना कि आवासीय प्रयोजनार्थ। अतः आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या दो के पास किसी भी प्रकार का कोई आवासीय मकान था, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत द्वारा आवासहीन व्यक्तियों को ही पट्टा जारी किया जाता है और अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत भारजा में अन्य कोई आवास हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत भारजा के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 17.07.2023 को तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट के बिन्दु संख्या तीन में भी यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो श्री रामाराम पुत्र श्री केसाजी का आबादी भूमि में जारी पट्टे की भूमि के अलावा अन्य कोई रहवासी भूमि नहीं है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो श्री रामाराम के पास ग्राम पंचायत भारजा में विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड के अलावा अन्य कोई भूखण्ड पंचायत की आबादी भूमि में स्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या दो अन्य पिछडा वर्ग संवर्ग का बी.पी.एल. परिवार का सदस्य है और राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत अन्य पिछडा वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के सदस्य को पट्टा जारी किया गया जा सकता है। प्रार्थिया सूजीदेवी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो मनरेगा श्रमिक है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो बीपीएल परिवार का कमजोर वर्ग का सदस्य है, जो मनरेगा में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा किया गया कथन कि अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिया का उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पर उसकी दादी सासु मां के समय से करीब 60 वर्षों से निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है, जिस पर पूर्व से ही निर्माण सामग्री एवं गोबर का संग्रहण किया जाता रहा है, जिसका एक मात्र स्वामित्व प्रार्थिया का रहा है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा यह कथन तो किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पर प्रार्थिया का उसकी दादी सासु मां के समय से करीब 60 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर प्रार्थिया का 60 वर्ष पुराना कब्जा होता तो प्रार्थिया की दादी सासुर या प्रार्थिया का पति या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा इस संबंध में पट्टा प्राप्त

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

करने हेतु कार्यवाही की जाती तथा उस पर विद्युत या पानी का कनेक्शन लेने की भी कार्यवाही की जाती, परन्तु प्रार्थिया और उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा भी केवल मात्र अप्रार्थी संख्या दो पट्टा प्राप्त करने हेतु अपात्र होने के सम्बन्ध में ही निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न जांच प्रतिवेदन में कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे के भूखण्ड पर प्रार्थिया सूजीदेवी का कब्जा आधिपत्य है। यदि विवादित भूखण्ड प्रार्थिया सूजीदेवी के कब्जे अधिपत्य का था तो उसके द्वारा ग्राम पंचायत में उक्त वादग्रस्त पट्टे को जारी करते समय आपत्ति प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, परन्तु प्रार्थिया द्वारा ग्राम पंचायत भारजा में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पेश की हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत भारजा के पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 29.12.2024 को तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थिया द्वारा विवादित पट्टे के भूखण्ड के पास में गोबर संग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा दिनांक 17.07.2023 को तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे के भूखण्ड का अप्रार्थी संख्या दो श्री रामाराम का पिछले 20 वर्षो से उपयोग करता आ रहा है और अप्रार्थी संख्या दो के अलावा उक्त भूमि पर किसी अन्य का कब्जा नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या दो श्री रामाराम पुत्र श्री केसाजी का आबादी भूमि में जारी पट्टे की भूमि के अलावा कोई रहवासी भूमि नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थिया सूजीदेवी द्वारा ग्राम पंचायत भारजा में पट्टे के लिए आवेदन दिनांक 15.09.2021 को प्रस्तुत किया था, परन्तु ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में दिनांक 13.12.2019 को ही पट्टा जारी कर दिया गया था तथा प्रार्थिया द्वारा अपने आवेदन में अंकित चतुर्दशी एवं अप्रार्थी संख्या दो के पट्टे में अंकित चतुर्दशी पूर्णतया भिन्न है और प्रार्थिया सूजीदेवी द्वारा अपने आवेदन के साथ जिन दो व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए थे, उन दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा ग्राम पंचायत में यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा केवल मात्र गोबर संग्रहण के सम्बन्ध में शपथ पत्र पर अंगूठा लगाया गया था, जिस पर प्रार्थिया द्वारा कब्जा वाडा अंकित कर नोटेरी से सत्यापित करवाया गया है तथा उनके द्वारा शपथ पत्र पर यह भी अंकित किया गया है कि मौके पर प्रार्थिया सूजीदेवी का कब्जा वाडा नहीं है। प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पट्टा जारी करते समय नियम 145 से 156 की पालना नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक.एफ.4()विधि/पराधि/2011/1134 दिनांक 01.07.2011 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों को नियम 157 व 158 के अन्तर्गत आवंटन व पट्टा जारी करने के लिए नीलामी द्वारा आवंटन किए जाने सम्बन्धी प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम 145 से 156 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपेक्षित/आवश्यक नहीं है। अतः नियम 157 एवं 158 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित कर बीपीएल परिवारों को पट्टे आवंटन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा संख्या 47 दिनांक 13.12.2019 क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थिया सूजीदेवी एवं प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रार्थना पत्रों को खारिज किया जाता है। निर्णय की मूल प्रति प्रकरण संख्या 52/2023 में रखी जाकर उक्त निर्णय की सत्य प्रति प्रकरण संख्या 58/2024 में रखी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Scanned with CamScanner